संचालनालय महिला सशक्तिकरण,म.प्र.
ब्लॉक–2, चतुर्थ तल, पर्यावास भवन, जेल रोड़, भोपाल

क./मस/5966/2016 भोपाल, दिनांक 1/04/2016

प्रति,

कलेक्टर,
जिला– समस्त, म.प्र.

विषयः– लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबध में ।

प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से संचालित की जा रही है जिसमें 1 जनवरी 2006 के उपरांत जन्मी बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2006 की जन्मी अधिकांश बालिकाऐं इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में कक्षा 6 में प्रवेश करेंगीं जिन्हें हमें योजना के प्रावधान के अनुसार रू.2000/– की छात्रवृत्ति प्रदाय की जानी होगी

दिनांक 14 अप्रैल से 31 मई 2016 तक ग्राम उदय से भारत उदय अभियान चलाया जायेगा। जिसमें प्रदेश भर में विशेष ग्राम सभायें आयोजित की जायेंगीं। उक्त अभियान लाडली लक्ष्मी योजना के प्रचार प्रसार व कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं के चिन्हांकन के लिये उपयुक्त अवसर है।

कृपया आप इस अभियान के दौरान बेबसाईट पर उपलब्ध पम्पलेट को डाउनलोड कर पर्याप्त मात्रा में मुद्रित कराते हुए सभी ग्रामसभाओं के माध्यम से जनसामान्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर लें।

प्राप्त जानकारी की प्रविष्टियां वेबसाईट में करने हेतु ladlilaxmi.com Website पर प्रावधान किया गया है जिसमें अभियान समयावधि में प्रविष्टि करा ली जाये ताकि शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में समस्त पात्र बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदाय की जा सके।

(कल्पना श्रीवास्तव)
आयुक्त
महिला सशक्तिकरण, म.प्र.

पृ.क./मस/5967/2016 भोपाल, दिनांक 1/04/2016

प्रतिलिपिः–

संभागीय उप संचालक, समस्त संभाग म0प्र0 /जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला समस्त उपरोक्तानुसार कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।

आयुक्त
महिला सशक्तिकरण,म.प्र.

पम्पलेट प्रारूप

लाड़ली लक्ष्मी योजना

बालिका जन्म के प्रति जनसमुदाय में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनॉक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई। जिससे प्रदेश में अब तक 22 लाख से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं। योजना के प्रक्रियात्मक कठिनाईयों को देखते हुए अब योजना को अधिक सरल व प्रभावी बना दिया गया है। नवीन प्रक्रिया के अनुसार आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/– का **प्रमाण पत्र** जारी किया जायेगा। योजना में किये गये प्रावधान के अनुसार उक्त राशि लाभान्वित बालिकाओं को निम्नानुसार प्राप्त होगीः–

- बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू.2000.
- कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रू.4000.
- कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रू.6000 तथा
- 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू.6000.
- रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

वर्ष 2013 तक के हितग्राहियों कोयोजनान्तर्गत प्राप्त एन एस सी प्रदाय की गई थी जिन्हें अब नवीन प्रक्रिया के अनुसार प्रमाणपत्र प्रदाय किया जा ना है अतः ऐसे हितग्राही बाल विकास परियोजना कार्यालय में एन एस सी जमा करते हुए प्रमाणपत्र प्राप्त करें ताकि उन्हें यथा समय योजना का लाभ प्रदाय किया जा सके।

कई वर्षों से लगातार आ रही समस्याओं को देखते हुए ऐसे प्रकरण जिनमें विभागीय लापरवाही/प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रकरण स्वीकृत नहीं हो पाये हैं उनमें जवाबदेही तय करते हुए कलेक्टर को प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण करते हुए स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार दिये गये हैं।

हितग्राही बालिकाओं को योजना के प्रावधान अनुसार लाभ समय पर प्राप्त हो इस हेतु हितग्राही परिवारों से अपील है कि वे बालिका का समग्र आई डी, आधार कार्ड व लाडली प्रमाणपत्र की प्रति संबधित शाला जिसमें हितग्राही अध्ययनरत है जमा करा दें ताकि हितग्राही बालिका के खाते में राशि सीधे जमा की जा सके। साथ ही साथ उक्त जानकारी विकास खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी को भी उपलब्ध करायी जाये ताकि ladlilaxmi.com Website में जानकारी update करायी जा सके

कार्यालय महिला सशक्तिकरण

नोटः– जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी स्थानीय आवश्यकता को देखते हुए पम्पलेट में आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं किंतु भाषा में परिवर्तन न किया जाये।